संख्या–321 / आ0ब0 / नि0स0–सेनेटरी मार्ट / 2000–01

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास बन्धु

लखनऊः दिनाँक– 7 जुलाई 2000

विषयः आश्रय योजना तथा भाऊराव देवरस योजना के अन्तर्गत निर्मित होने वाले भवनों में सेनेटरी मार्ट द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाली सामग्री का उपयोग।

महोदय,

प्रदेश में मैल ढोने जैसे अमानवीय पेशे का प्रचलन अभी भी है अतः इससे सम्बन्धित स्वच्छकारों की विमुक्ति एवं पुनर्वास हेतु भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार प्रदेश में सेनेटरी मार्टर्स योजना (विवरण संलग्न) चलायी जानी प्रस्तावित है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके प्राधिकरण में आश्रय योजना के अन्तर्गत जो भी भवन निर्मित किये जाये, उनमें शौचालय के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली सामग्री उक्त सेनेटरी मार्ट से ही क्रय की जाये।

उपरोक्त आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या – (1) / आ0बा0 / नि0स0–सेनेटरी मार्ट / 2000–01 तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को सूचनार्थ प्रेषित :–

आज्ञा से,

आनन्द कुमार
अनु सचिव

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम
सेनेटरी मार्ट योजना

प्रदेश में अभी भी मैला ढोने जैसे अमानवीय पेशे का प्रचलन है। इस अमानवीय पेशे से सम्बन्धित स्वच्छकारों की विमुक्ति एवं पुनर्वासन हेतु प्रदेश में संचालित येाजनाओं में अभी तक सीमित सफलता प्राप्त हो सकी है। इसी सामाजिक कलंक को समाप्त करने के लिए मा0 प्रधानमंत्री जी ने दिसम्बर, 1999 में घोषणा की कि स्वच्छकारों का पुनर्वासन राष्ट्रीय लक्ष्य है। पिछले अनुभवों से स्पष्ट है कि शुष्क शौचालयों के रहते स्वच्छकारों की विमुक्ति सम्भव नहीं है। सुलभ इन्टरनेशनल से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के नगरीय क्षेत्र में शुष्क शौचालयों की अनुमानित संख्या 19,94,520 है और 20,54,960 आवास शौचालयविहीन हैं।

वर्ष 1992–93 में निगम द्वारा कराये गये सर्वेक्षण के अनुसार भारत सरकार द्वारा परिभाषित मैला तथा गन्दगी के सफाई में पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से पेशे में लगे स्वच्छकारों तथा उनके पात्र आश्रितों की संख्या 2,46,916 पायी गई थी। वर्ष 1996–97 तक इनमें से 1,29,920 व्यक्तियों को निगम द्वारा स्वरोजगार हेतु वित्त–पोषित किया गया। वर्ष 1996–97 तक इनमें से 1,29,920 व्यक्तियों को निगम द्वारा स्वरोजगार हेतु वित्त–पोषित किया गया। वर्ष 1996–97 में भारत सरकार की नयी परिभाषा के अनुसार केवल शुष्क शौचालयों में कार्यरत स्वच्छकार एवं उनके पात्र आश्रितों का पुर्नसर्वेक्षण कराया गया। इसमें कुल 46,588 पात्र व्यक्ति चिन्हित किये गये। निगम द्वारा वर्ष 1999–2000 तक इनमें से 41,484 व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु वित्त–पोषित किया जा चुका है। इस प्रकार अब मात्र 7,104 पात्र व्यक्ति वित्त–पोषण हेतु अवशेष हैं, परन्तु, फरवरी–मार्च,2000 में कराये गये त्वरित सर्वेक्षण के आधार पर अभी भी अनुमानित तौर पर 1,49,202 व्यक्ति मैला ढोने जैसे अमानवीय पेशे से सम्बद्ध हैं। इस आंकड़े की पुष्टि वास्तविक सर्वेक्षण के आधार पर कराया जाना आवश्यक है। इसी पृष्ठभूमि में भारत सरकार के दिशा–निर्देशानुसार प्रदेश में सेनेटरी मार्ट्स योजना के माध्यम से स्वच्छकारों की विमुक्ति एवं पुनर्वासन किया जाना प्रस्तावित है।

योजना का लक्ष्य

1. ऐसे स्वच्छकार जो मैला ढोने के अमानवीय पेशे में कार्यरत हैं, को उक्त पेशे से पूर्ण रूप से मुक्त कराया जाना।
2. ऐसे उपलब्ध स्वच्छकारों तथा उनके पात्र आश्रितों को स्वरोजगार का स्थाई अवसर उपलब्ध कराया जाना।
3. ऐसा वातावरण तथा स्थिति तैयार करना, जिससे इस अमानवीय पेशे की आवश्यकता ही न रह जाये एवं समाज में स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा हो।

योजना का स्वरूप

सेनेटरी मार्ट्स एक ऐसा बाजार है, जहाँ सामान्य व्यक्तियों की स्वच्छता सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। यह उत्पादन केन्द्र दुकान एवं सेवा केन्द्र तीनों रूप में कार्य करता हैं। उत्पादक के रूप में सेनेटरी मार्ट शौचालयों के निर्माण में उपयोग होने वाली सामग्रियों तथा स्वच्छता सम्बन्धी सामग्रियों जैसे–पैन, टैप, फुटरेस्ट, फिनायल, ब्रश आदि का उत्पादन करता है। दुकान के रूप में यह स्वच्छता सम्बन्धी सामग्रियों का विक्रय करता है, जिनमें शौचालयों के निर्माण में प्रयोग होने वाली आवश्यक समस्त सामग्रियों यथा–सेनेटरी पैन, स्ट्रैप, पिट कवर्स तथा स्वच्छता सम्बन्धी अन्य सामग्रियाँ यथा–साबुन, टायलेट ब्रश, ब्लीचिंग पाउडर, फिनायल इत्यादि सम्मिलित हैं। सेवा केन्द्र के रूप में शौचालयों के निर्माण तथा तत्सम्बन्धी आवश्यक जानकारी तथा सलाह देने का कार्य सेनेटरी मार्ट द्वारा किया जाता है। अतः सेनेटरी मार्ट की अवधारणा उत्पादन, विपणन तथा सेवा सम्बन्धी कार्यों के माध्यम से वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने पर आधारित है।

गठन एवं वित्त पोषण

सेनेटरी मार्ट के संचालन हेतु 20 से 30 ऐसे व्यक्तियों की समिति बनाया जाना प्रस्तावित है, जो मैला ढोने के काम में लगे हुए हैं। तत्पश्चात् सेनेटरी मार्ट्स के संचालन के लिए प्रोजेक्ट

बनाया जायेगा जिसमें मसूह को इस प्रकार सब्सिडी एवं मार्जिन मनी की सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेगी, जैसी अभी तक स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत थीं। उदाहरणार्थ 25 व्यक्तियों की समिति में प्रत्येक व्यक्ति को 20 हजार रूपये की प्रोजेक्ट धनराशि के सापेक्ष मार्ट की परियेाजना की कुल लागत रु0 5 लाख होगी, जिसमें से रु0 10 हजार प्रत्येक व्यक्ति को सब्सिडी अर्थात रु0 2.5 लाख सब्सिडी एवं रू0 3 हजार प्रत्येक व्यक्ति अर्थात रू0 75 हजार कुल 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर मार्जिन मनी एवं शेष रू0 1.75 लाख समिति को बैंक से ऋण प्राप्त कराया जायेगा। उपरोक्तानुसार 20 व्यक्तियों की समिति के लिए कुल परियोजना लागत रू0 6 लाख होगी। बैंकों से ऋण प्राप्त करने में सम्भावित कठिनाई को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से धनराशि प्राप्त कर बैंक ऋण से स्थान पर सीधे धनराशि देने का विकल्प विचाराधीन है।

इस प्रकार उपरोक्त गठित एवं स्थापित सेनेटरी मार्ट्स द्वारा स्वैच्छिक संगठनों के सहयोग से जहाँ एक ओर शुष्क शौचालयों को जल प्रवाहित शौचालयों में परिवर्तित करने के लिए सूचना शिक्षा एवं प्रसार वृहद अभियान चलाया जायेगा, वही इस मार्ट द्वारा किये जा रहे व्यवसाय से अर्जित लाभ से इस समिति में लगे व्यक्तियों को वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध हो सकेगा।

अद्यतन कृत कार्यवाही

प्रदेश में इस योजना के संचालन हेतु निम्न कार्यवाहियाँ कर ली गयी है :

1. प्रदेश में त्वरित सर्वेक्षण के आधार पर अनुमानित 1,49,202 स्वच्छकार एवं उनके आश्रित अभी भी मैला ढोने जैसे अमानवीय पेशे से सम्बद्ध पाये गये हैं। इन आंकड़ों की पुष्टि हेतु वास्तविक सर्वेक्षण कराया जाना आवश्यक है।
2. प्रदेश में सेनेटरी मार्ट के माध्यम से स्वच्छकारों एवं उनके आश्रितों को वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने हेतु समस्त जिलाधिकारियों एवं मण्लायुक्तों को विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये जा चुके है।
3. जनपद–बरेली, बदायूँ तथा मुरादाबाद में 15 सेनेटरी मार्ट समितियों का गठन कर लिया गया है, जिनके पंजीयन की कार्यवाही चल रही है। जनपद–लखनऊ में यह कार्य प्रगति पर है।
4. सेनेटरी मार्ट समितियों के बाई–लाज तथ वित्त पोषण हेतु परियोजना तैयार करा लिया गया है।

योजना की सफलता के लिए क्रिटिकल बिन्दु

1. शुष्क शौचालयों का जल प्रवाहित शौचालयों में परिवर्तन किया जाना।
2. मार्ट में लगे व्यक्तियों का प्रशिक्षण।
3. मार्ट के प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा उत्पादित शौचालयों निर्माण सम्बन्धी सामग्री के विक्रय हेतु मांग।
4. मार्ट के प्रशिक्षित स्वरोजगारियों के द्वारा शौचालय निर्माण हेतु माँग।
5. मार्ट के दुकान में उपलब्ध स्वच्छता सामग्रियों के विक्रय हेतु माँग।

अस्तु, जहाँ एक तरफ सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई.ई.सी.) के माध्यम से जनता में उक्त कार्यों के लिए मांग पैदा की जानी होगी, वहीं सेनेटरी मार्ट योजना की सफलता के लिए प्रदेश के विभिन्न विभागों द्वारा उक्त मार्ट के माध्यम से सृजित किये जा रहे सेवा, उत्पादन एवं विपणन क्षमता का उपयोग किया जाना भी आवश्यक होगा।

ज्ञातव्य है कि प्रदेश में नगर विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग, राजस्व विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, आवास विभाग तथा पंचायती राज विभाग में शौचालयों में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियाँ तथ स्वच्छता सम्बन्धी सामग्रियों का उपयोग किया जाता हैं सेनेटरी मार्टों के माध्यम से उल्लिखित विभागों में वर्णित सामग्रियों की आपूर्ति जहां कहीं सम्भव हो वहां किये जाने से जहां एक ओर सामग्रियों की गुणवत्ता का स्तर बनाये रखा जा सकता है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक रूप से पिछड़े एवं अमानवीय पेशे में गे स्वच्छकारों का वैकल्पिक रोजगार आर्थिक रूप से परिपुष्ट होगा।

योजना की आर्थिक परिपुष्टता हेतु अपेक्षित अन्तर्विभागीय सहयोग

वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत सेनेटरी मार्ट्स योजना की सफलता एवं उसके आर्थिक दृष्टि से परिपुष्टता के लिए निम्न कार्यवाहियाँ प्रस्तावित हैं :–

1. नगर विकास विभाग के माध्यम से नगर निगमों तथा नगर निकायों को यह निर्देश जारी किये जायें कि सेनेटरी मार्ट के निर्माण हेतु आवश्यकतानुसार भूखण्ड व्यवसायिक स्थलों पर लीज पर उपलब्ध करा दें।
2. नगर विकास विभाग के माध्यम से यह व्यवस्था की जाये कि समस्त नगर निगमों एवं नगर निकायों में स्वच्छता सम्बन्धी सामग्रियों का क्रय यथासम्भव सेनेटरी मार्ट से किये जाने की व्यवस्था की जाये।
4. नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग के माध्यम से यह व्यवस्था की जाये कि शुष्क शौचालयों को जल–प्रवाहित शौचालयों में परिवर्तित करने के कार्य में यथासम्भव सेनेटरी मार्ट का उपयोग किया जाये। साथ ही शौचालयों के निर्माण में उपयोग होने वाली सामग्री तथा स्वच्छता सम्बन्धी सामग्रियों की आपूर्ति यथासम्भव सेनेटरी मार्ट के मध्यम से करायी जाये।
5. राजस्व विभाग के माध्यम से व्यवस्था कराई जाये कि कलेक्ट्रेट एवं राजस्व कार्यालयों में सवच्छता सम्बन्धी सामग्रियों की आपूर्ति यथासम्भव सेनेटरी मार्ट के माध्यम से करायी जाये।
6. ग्राम्य विकास विभाग के माध्यम से व्यवस्था कराई जाये कि ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत शौचालयों के निर्माण में उपयोग होने वाली सामग्रियों की आूपर्ति यथासम्भव सेनेटरी मार्ट के माध्यम से कराई जाये।
7. शासकीय निर्माण विभागों जैसे–लोक निर्माण विभाग, आवास–विकास परिषद, पुलिस आवास निगम आदि के माध्यम से यह व्यवस्था कराई जाये कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक भवनों में शौचालयों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली सामग्री तथा स्वच्छता सम्बन्धी सामग्रियों की आपूर्ति यथासम्भव सेनेटरी मार्ट के माध्यम से कराई जाये।
8. आवास विभाग के माध्यम से यह व्यवस्था कराई जाये कि भाऊरावदेवरस योजनान्तर्गत निम्नतम आय वर्ग के लिए निर्मित होने वाले भवनों के शौचालयों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों की आपूर्ति यथासम्भव सेनेटरी मार्ट के माध्यम से कराई जाये।
9. पंचायती राज विभाग के माध्यम से यह व्यवस्था कराई जाये कि ग्राम प्रधानों, ब्लाक प्रमुखों आदि माननीय जनप्रतिनिधियों, जिनके भवनों में शुष्क शौचालय हैं अथवा शौचालयों की व्यवस्था नहीं है, उनके भवनों में शौचालयों के निर्माण सेनेटरी मार्ट के माध्यम से कराये जाएं ताकि समाज के अन्य व्यक्ति भी उनका अनुसरण करें। पंचायती राज विभाग पूर्व से ही ग्रामीण सेनेटरी मार्ट योजना का संचालन कर रहा है, इसलिए समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित सेनेटरी मार्ट योजना में पंचायती राज विभाग की सम्बद्धता सम्भव है। यह विभाग यथासम्भव सेनेटरी मार्ट की सामान का प्रयोग समीपवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों के स्वच्छता कार्यक्रम में कर सकता है।
10. मण्लायुक्तों/जिलाधिकारियों को निर्देश दिया जाय कि वे अपने मण्डल/जनपद को मैला ढोने के पेशे से मुक्त करने हेतु अंतर्विभागीय समन्वय तथा सहयोग से सघन प्रयास करें। वे स्वयं कार्य योजना एवं रणनीति तैयार करके निश्चित अवधि के अन्तर्गत अपने मण्डल/जनपद को उक्त पेशे से पूर्णतया मुक्त जनपद घोषित करायें। इस कार्य में सफलता हासिल करने वाले मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी को शासन स्तर से प्रशस्ति–पत्र जारी किया जाये।

उपरोक्त के अतिरिक्त इस येाजना के सफल क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय सफाई मजदूर वित्त एवं विकास निगम से ऋण प्राप्त करने हेतु वित्त विभाग से 5 करोड़ रूपये की शासकीय गारण्टी अपेक्षित है।